Public Notice for RPL
Compendium of Guidelines and Amendments

Date: 17 September 2018

This is further to the Notice on Temporary Hold on RPL Proposals under PMKVY (2016-20) dated 22 December 17.
Since then certain amendments in the PMKVY RPL Guidelines have been done to add two new types of RPLs – RPL with Best in Class Employers and RPL at PMKK Centers through Demand Aggregation Portal. A compendium of all the instructions related to different types of RPL is available at www.pmkvyofficial.org.

RPL with Best in Class Employers has gained immense support and traction as it provides a very cost effective method of recognition of skills in organized sector. The major thrust of RPL henceforth will be through RPL with Best in Class Employers.

RPL Type 1 (Camp Mode), RPL Type 2 (Employer's premises) and RPL Type 3 (PMKVY Centers) are being positioned to primarily support upskilling/ reskilling for central government schemes, state governments, government institutes/ organizations, significant issues like doubling/ increasing of farmer income etc..

Therefore, the temporary hold on accepting the new RPL Type 1,2 and 3 proposals and processing of the existing proposals as communicated vide the Notice dated 22 December 17 will continue. Any change in the status as communicated through the Notice dated 22 December 17, will be posted on the PMKVY website and initially the projects already in pipeline with NSDC will be processed before accepting new proposals.

The Competent Authority may provide any suitable modification/deviation as required.

आर पी एल (RPL) संबंधी सूचना

तिथि: 17 सितंबर 2018

गत 22 दिसंबर 2017 को जारी सूचना के जरिये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत पूर्वानुभव को मान्यता (आर पी एल) के लिए नए प्रस्तावों की स्वीकृति पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी। इस बीच उससे जुड़े दिशानिर्देशों में कुछ संशोधन के बाद आर पी एल के दो नए कार्यक्रम घोषित किए गए हैं। इनमें से एक आर पी एल विद 'बेस्ट इन क्लास इम्प्लायर्स' है तथा दूसरा 'डिमांड एग्रेगेशन पोर्टल' के जरिये प्रधानमंत्री कोशल केन्द्र पर चलाया जानेवाला आर पी एल

कार्यक्रम है। इन दोनों का पूरा ब्यौरा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के वेबसाईट www.pmkvyofficial.org पर देखा जा सकता है।

चूंकि यह संगठित क्षेत्र में कम लागत पर कौशल को मान्यता देने का कारगर तरीका है, इस वजह से आर पी एल विद बेस्ट इन क्लास इम्प्लायर्स का भरपूर स्वागत हुआ है। इसके प्रति नियोक्ताओं की दिलचस्पी के मद्देनजर आर पी एल विद बेस्ट इन क्लास इम्प्लायर्स पर अधिक जोर देने का निर्णय लिया गया है।

शिविर लगाकर चलाया जानेवाला आर पी एल-1, नियोक्ता के परिसर में चलाया जानेवाला आर पी एल-2 और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के केन्द्र पर चलाया जानेवाला आर पी एल-3 मुख्य रूप से केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं के साथ-साथ सरकारी संस्थानों या संगठनों के लिए कौशल विकास कार्य के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। इनके अलावा किसानों को उनकी आय में बढ़ोत्तरी करने में मदद करने के लिए भी ये कार्यक्रम चलाए जाते रहेंगे।

इस वजह से आर पी एल-1, 2 तथा 3 के लिए नए प्रस्ताव फिलहाल स्वीकार नहीं किए जा सकेंगे। इसी तरह पहले से प्राप्त प्रस्तावों पर भी विचार नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, 22 दिसंबर 2017 को सूचना जारी कर जो रोक लगाई गई थी, वह पहले की तरह जारी रहेगी। इस बीच अगर इस निर्णय में कोई फेरबदल किया जाता है तो उसकी सूचना प्रधानमंत्री कोशल विकास योजना के वेबसाईट पर डाल दी जाएगी। उस स्थिति में नए प्रस्ताव आमंत्रित करने से पहले पुराने प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

इस निर्णय में आवश्यकतानुसार संशोधन करने या फिर इससे अलग कोई निर्णय लेने के लिए सक्षम अधिकारी स्वतंत्र रहेंगे।